



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21042023-245303
CG-DL-E-21042023-245303

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1749]
No. 1749]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 21, 2023/वैशाख 1, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 21, 2023/VAISAKHA 1, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2023

का.आ. 1831(अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड(ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ 'नेशनल इंस्टिट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद (पैन:AAATN1137D)' को 'विश्वविद्यालय, कालेज अथवा अन्य संस्थान' की श्रेणी के अंतर्गत 'वैज्ञानिक अनुसंधान' के लिए अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र (अर्थात् पूर्व वर्ष 2023-24 से) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी और तदनुसार निर्धारण वर्षों 2024-2025 से 2028-2029 तक लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 23/2023/ फा. सं. 203/07/2022/आटीए-II]

कास्ट्रो जयप्रकाश टी., अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।